उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–684 / XXVIII–1 / 20–01(06)2020
देहरादूनः दिनांक 16 जून, 2020

अधिसूचना संख्या–683 / XXVIII–1 / 20–01(06)2020 दिनांक 16 जून 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड–19(संशोधन) विनियमावली, 2020 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड–19 (संशोधन) विनियमावली 2020 की अधिसूचना को आगामी गजट(असाधारण) में प्रकाशित करवाते हुए अधिसूचना की 150 प्रतियां चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल एवं कुमाँऊ मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक पुलिस, उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड,देहरादून।
8. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एम्स, ऋषिकेश।
12. प्राचार्य, समस्त मेडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड।
13. अधिशासी निदेशक, एन0आइ0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
16/6/20
(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव(प्र0)।

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–683 / XXVIII–1 / 20–01(06)2020
देहरादूनः दिनांक 16 जून, 2020

अधिसूचना

राज्यपाल, महामारी अधिनियम, 1897(अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) की धारा 2 तथा धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड–19 विनियमावली, 2020 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैंः–

उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड–19(संशोधन) विनियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम

1. (1) इस विनियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड महामारी कोविड–19 (संशोधन) विनियमावली, 2020 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

विनियम 19 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड महामारी कोविड–19 विनियमावली, 2020(जिसे एतस्मिनपश्चात मूल विनियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान विनियम 19 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्ः–

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियमन	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियमन
19– शास्तिः इस विनियमावली के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करते हुए पाया गया कोई व्यक्ति / संस्था / संगठन, भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या–45 सन् 1860) की धारा 188 के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया समझा जाएगा। सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अथवा जिले का जिला मजिस्ट्रट ऐसे किसी व्यक्ति / संस्था / संगठन के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर कर सकता है, यदि वह इस विनियमावली के उपबन्धों या इस विनियमावली के अधीन सरकार द्वारा जारी किन्ही अन्य अग्रेतर आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है।	**19–शास्तिः**–(1) इस विनियमावली के किसी उपबन्ध या इसके अन्तर्गत जारी किसी आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया कोई व्यक्ति / संस्था / संगठन, महामारी रोग अधिनियम, 1897 यथासंशोधित महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश 2020 (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या–7 वर्ष 2020) की धारा 3 से दण्डनीय अपराध किया गया समझा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति / संस्था / संगठन इस विनियमावली के उपबन्धों या इस विनियमावली के अधीन जारी किन्ही आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी उसे दण्डित किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है। (2) किसी महामारी के दौरान सेवारत किसी स्वास्थ्य देखभाल सेवाकर्मी के विरूद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हिंसात्मक कार्य अथवा महामारी के दौरान किसी सम्पत्ति की किसी प्रकार की क्षति या नुकसान करना भारत

सरकार द्वारा जारी महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (संख्या 5 वर्ष 2020) के अधीन दण्डनीय होगा।

नये विनियम 19–क एवं 19–ख का अंतःस्थापन 3. मूल विनियमावली, में विनियम–19 के पश्चात विनियम 19–क एवं 19–ख निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात

19–क दिशा–निर्देशः– (1) प्रत्येक व्यक्ति के लिए सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मुखावरण (मास्क), गमछा, रूमाल या दुपट्टा/स्कार्फ पहनना अनिवार्य होगा तथा सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबन्धित होगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति के लिए लॉकडाउन के संदर्भ में भारत सरकार एवं राज्य सरकार तथा सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

19–ख अपराधों का शमन किया जाना :–

सक्षम अधिकारिता वाला कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से न्यून न हो, राजस्व अधिकारी जो राजस्व निरीक्षक की पंक्ति से न्यून न हो या जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी निम्नवत् अपराधों/उल्लंघनों को निम्नवत् प्रकार एवं धनराशि के भुगतान पर शमित कर सकेगाः–

(1) विनियम 19–क(1) के उल्लंघन पर शमन धनराशिः–

(i) प्रथम एवं द्वितीय बार के उल्लंघन पर रू0 100(सौ रूपये मात्र);

(ii) तृतीय बार तथा प्रत्येक अनुवर्ती बार के उल्लंघन पर रू0 200(दो सौ रूपये मात्र)।

(2) विनियम 19–क(2) के उल्लंघन पर शमन धनराशिः–

(i) प्रथम बार के उल्लंघन पर न्यूनतम रू0 100(सौ रूपये मात्र),

(ii) द्वितीय बार के उल्लंघन पर न्यूनतम रू0 200(दो सौ रूपये मात्र), तथा जो रू. 500 (पॉच सौ रूपये मात्र) तक हो सकता है;

(iii) द्वितीय बार के पश्चात् प्रत्येक उल्लंघन या पुनरावृत्ति पर रू0 500 (पॉच सौ रूपये मात्र)।

परन्तु यह कि यदि अपराधी द्वारा उपरोक्त रूप से शमन धनराशि अदा नहीं की जाती तो महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 7 वर्ष 2020) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड के प्रावधान लागू होंगे।

आज्ञा से,

16/6/20

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)

सचिव(प्र0)।